रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91 REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 9, 1991/माघ 20, 1912

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 9, 1991/MAGHA 20, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खंड 3—उपखंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1991

सा. का. नि. 78.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संगणक, केन्द्र समूह "ग" और समूह "घ" (गैर-तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका संबंध लेखाकार के पद से है (सा.का.नि. 980 तारीख 8-7-80), उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संगणक केन्द्र, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संगणक केन्द्र, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली (लेखाकार) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (11) में विनिर्दिष्ट हैं :—

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1991

सा.का.नि. 94.—भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड (1), दिनांक 30 अप्रैल, 1988 के पृष्ठ 1410-1438 में प्रकाशित भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 370 जिसकी अनुसूची में आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कंध (समूह "क" और समूह "ख" पदों) के भर्ती नियम अधिसूचित किए गये हैं में—

(1) क्रम संख्या 5 के सामने जो कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत)/संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत) से संबंधित है में—

(1) "प्रोन्नति" शीर्षक के अन्तर्गत कालम 12 में "सहायक कार्यपालक इंजीनियर" को "सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत)" पढ़ा जाय और "अधीक्षक इंजीनियर" शब्द "अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत)" या पढ़ा जाय।

(2) कालम नम्बर 14 में "नहीं" शब्द हटा दिया जाय।

(2) क्रम संख्या 6 के सामने जो कार्यपालक इंजीनियर (सिविल/संकर्म सर्वेक्षक (सिविल)/मुख्य इंजीनियर (सिविल) के इंजीनियर अधिकारी से संबंधित है में,—

(1) कालम एक में शब्दों और कोष्टकों "कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)/संकर्म सर्वेक्षक (सिविल)/मुख्य इंजीनियर (सिविल) के इंजीनियर अधिकारी" को "कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)/संकर्म सर्वेक्षक सिविल)/मुख्य इंजीनियर (सिविल) के इंजीनियर अधिकारी" पढ़ा जाय;

(2) कालम 2 में "34" को "35" पढ़ा जाय;

(3) "प्रोन्नति" शीर्षक के अन्तर्गत कालम 12 में "अधीक्षक इंजीनियर के इंजीनियर सहायक" शब्द को इंजीनियर के इंजीनियर सहायक या पढ़ा जाय।

(3) क्रम संख्या 10 के सामने जो सहायक इंजीनियर (सिविल)/सहायक संकर्म सर्वेक्षक (सिविल)/अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) के इंजीनियरी सहायक (सिविल)/अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (सिविल) के पद से संबंधित है में,—

(1) कालम 1 में अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) के इंजीनियरी सहायक "को अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) का इंजीनियरी सहायक या", पढ़ा जाय।

(2) कालम 2 में अंक और कोष्टक "147*" को "151*" पढ़ा जाय

(1988) (1988)

*कार्यभार पर निर्भर करते हुए तबदीली के अधीन"।

(4) क्रम संख्या 11 जो सहायक वास्तुविद के पद से संबंधित है में,—

(1) कालम 2 में अंक "3" को "9" पढ़ा जाय;

(2) कालम 12 में मौजूदा प्रविष्टि से पहले "स्था. नान्तरण" शीर्षक पढ़ा जाय।

(5) क्रम संख्या 13 के सामने जो सहायक इंजीनियर (विद्युत)/सहायक संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत)/अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत) के इंजीनियर सहायक/अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत) के इंजीनियर सहायक से संबंधित है, कालम 1 में शब्द अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत)/अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत) के इंजीनियर सहायक को "अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत) या अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत) का इंजीनियर सहायक" पढ़ा जाय।

नोट: मूल नियम सा.का.नि. 370 के तहत भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड 3 में दिनांक 30-4-88 को प्रकाशित किए गये थे और मंत्रालय के दिनांक 7-4-89 की अधिसूचना संख्या ए-11011/2/88-सी.डब्ल्यू-1/बी(डी) के तहत संशोधित किया गया।

[संख्या 310/25/90-बी(डी)]

पी.एम. राज, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th January, 1991

G.S.R. 94.—In the Notification of Government of India in the Ministry of Information & Broadcasting No. G.S.R. 370 dated 28th March, 1988 published at Page 1410—1438 of the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-Section (i), dated April 30, 1988 notifying the All India Radio, Civil Construction Wing (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1988, in the Schedule,—

(1) against Serial No. 5 relating to the post of Executive Engineer (Electrical)/Surveyor of Works (Electrical),—

(i) in column 12, under the heading "Promotion", the words "Assistant Executive Engineer", may be read as "Assistant Executive Engineer (Electrical)" and the words and sign "Superintending Engineer/" may be read as "Superintending Engineer (Electrical) or".

(ii) in column 14, the word "not" may be omitted.

(2) against Serial No. 6 relating to the post of Executive Engineer (Civil/Surveyor of Works (Civil)/Engineer Officer to Chief Engineer (Civil)—

(i) In column 1, the words and brackets "Executive Engineer (Civil)/Surveyor of Works (Civil) Engineer Officer to Chief Engineer (Civil) may be read as "Executive Engineer (Civil)/Surveyor of Works (Civil)/Engineer Officer to Chief Engineer (Civil)";

(ii) In column 2, the figure "34" may be read as "35";

(iii) In column 12, under heading "Promotion" the words and sign "Engineer Assistant to Superintending Engineer/" may be read as "Engineer Assistant to Superintending Engineer or".

(3) against Serial No. 10, relating to the post of Assistant Engineer (Civil)/Assistant Surveyor or Works (Civil)/Engi-

neer Assistant to Superintending Engineer (Civil)/Superintending Surveyor of works (Civil),—

(i) in column 1, the words and sign "Engineer Assistant to Superintending Engineer (Civil)/"may be read as Engineer Assistant to Superintending Engineer (Civil) or";

(ii) In column 2, the figure and brackets "147*" may be read as "151*" (1988) (1988)

*Subject to variation dependent on workload".

(4) against serial No. 11 relating to the post of Assistant Architect,—

(i) in column 2, the figure "3" may be read as "9";

(ii) in column 12, before the existing entry, heading "Transfer" may be read.

(5) against Serial No. 13 relating to the post of Assistant Engineer (Electrical)/Assistant Surveyor of Works (Electrical)/ Engineer Assistant to Supdtg. Engineer (Electrical)/Superintending Surveyor of Works (Electrical), in column 1, the words and sign "Engineer Assistant to Supdtg. Engineer (Electrical) Superintending Surveyor of Works (Electrical)" may be read as "Engineer Assistant to Superintending Engineer (Electrical) or Superintending Surveyor of Works (Electrical)".

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Part II Section 3, vide G.S.R. No. 370 dated 30-4-88, Amended vide Ministry's notification No. A-11011/2/88-CW.I/B(D) dated 7-4-89.

[No. 310/25/90-B(D)]

P. M. RAJU, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1991

सा.का.नि. 95 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) और अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1980 को जहां तक उनका संबंध अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) के समूह "ख" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा, में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा मे जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान सहायक कार्य-अध्ययन	8* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1640-60-द.रो.-75-2900 रुपये	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।